

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
मौखिक प्रश्न संख्या : 264

दिनांक 11 जुलाई, 2019 / 20 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एअर इंडिया की बिक्री

\* 264. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विगत वर्ष के दौरान एअर इंडिया के लिये बोलीदाताओं को आकर्षित करने में असफल रहने के उपरान्त इस सरकारी विमानन कंपनी की पुनः बिक्री हेतु नये सिरे से कोई प्रस्ताव तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एअर इंडिया की बिक्री हेतु प्रस्ताव पर विचार करने का क्या कारण है;

(ख) बिक्री के लिये अंतिम/नया प्रस्ताव कब तक पूरा किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या एअर इंडिया के पास देश के विभिन्न राज्यों/नगरों में वृहत् मात्रा में अप्रयुक्त भूमि है और यदि हां, तो राज्य/नगर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एअर इंडिया ने अपनी अप्रयुक्त भूमि को बेचने और अपनी हानि को कम करने का प्रस्ताव किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी राशि का राजस्व सृजित होने की संभावना है तथा सरकार द्वारा एअर इंडिया को ऋण-जाल से बचाने के लिये अन्य क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'एअर इंडिया की बिक्री' विषय पर श्री संजय सदाशिव राव मांडलिक, संसद सदस्य और श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को पूछे जाने वाले मौखिक प्रश्न संख्या 264 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हां। सरकार एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए प्रतिबद्ध है। नीति आयोग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश पर 12 मई, 2017 की अपनी सिफारिशों में एअर इंडिया के विनिवेश के लिए तर्क और अन्य अनेक कारणों सहित कम्पनी की नाजुक वित्तीय स्थिति का संदर्भ दिया है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने एअर इंडिया पर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि एक परिपक्व और प्रतिस्पर्धी विमानन बाजार में और अधिक वित्तीय सहायता, सरकार के अल्प वित्तीय संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग नहीं होगा।

आर्थिक मामलों सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28.06.2017 को आयोजित अपनी बैठक में, एअर इंडिया और इसकी पाँच अनुषंगी कम्पनियों के रणनीतिक विनिवेश के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया था।

अंतिम तिथि अर्थात् 31.05.2018 तक एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के लिए कोई बोली प्राप्त न होने पर, एअर इंडिया के लिए विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र (एआईएसएएम) ने दिनांक 18.06.2018 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निर्णय लिए:

- i) इस बीच प्रचालनिक कुशलता हासिल करने के लिए और एअर इंडिया के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सभी मध्यावधिक प्रयास किए जाने चाहिए,
- ii) उन गैर-महत्वपूर्ण भूमि और भवन परिसम्पत्तियों का मौद्रीकरण किया जाना चाहिए, जिनकी पहचान पहले ही की जा चुकी है,
- iii) परिसम्पत्तियां एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित की जा सकती हैं ताकि एअर इंडिया के ऋण समाप्त किए जा सकें, और
- iv) मौजूदा सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग ऊपर उल्लिखित गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए।

सरकार ने एअर इंडिया को यह भी निदेश दिया है कि एअर इंडिया और इसकी अनुषंगी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति को अंतिम रूप दिया जाए। इसके अतिरिक्त, एआईएसएएम के अपने पुनर्गठन के बाद नए सदस्यों वाला ए.आई.एस.ए.एम एअर इंडिया के विनिवेश से संबंधित मापदंडों को अंतिम रूप देगा।

(ग): एअर इंडिया के कब्जे में भूमि के 30 अप्रयुक्त क्षेत्र हैं, जिनका ब्यौरा अनुबंध में है।



(घ) और (ड.): आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 12 अप्रैल 2012 को एअर इंडिया की कायाकल्प योजना (टीएपी) और वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) अनुमोदित की थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एअर इंडिया में, वित्तीय वर्ष 2013 से आगे प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य सहित, 10 वर्ष की अवधि के दौरान 5000 करोड़ रुपए तक की परिसम्पत्तियों का मौद्रीकरण शामिल है।

एअर इंडिया ने अपनी अप्रयुक्त/अधिशेष अचल रीयल एस्टेट परिसम्पत्तियों के मौद्रीकरण की योजना तैयार की है। अभी तक, एअर इंडिया ने भारत और विदेशों में विभिन्न शहरों में अपनी गैर-महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से 534.65 करोड़ रुपए की धनराशि की उगाही की है। एअर इंडिया ने लगभग 314 करोड़ रुपए की किराया आय की उगाही भी की है। इसके अतिरिक्त, भूमि/सम्पत्तियों के मौद्रीकरण से अर्जित होने वाली संभावित आय बोली प्रक्रिया पर निर्भर करती है और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा दिए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्रों (एनओसी) के अध्यधीन है।

इसके अतिरिक्त, जहां सरकार एअर इंडिया के विनिवेश के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं सरकार ने वित्तीय सहायता के साथ एअर इंडिया की पुनरुत्थान योजना अनुमोदित की है जिसका फोकस एक प्रतिस्पर्धी और लाभप्रद एयरलाइन समूह निर्मित करने पर है। वित्तीय सहायता में, अन्य बातों के साथ-साथ, एअर इंडिया को 3975 करोड़ रुपए की नकद सहायता, 29464 करोड़ रुपए के ऋण को एअर इंडिया से एक विशेष प्रयोजन निकाय (एसपीवी) अर्थात एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) में हस्तांतरित करना, एअर इंडिया लिमिटेड को 7600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी मुहैया कराना और एसपीवी में हस्तांतरित ऋण के संबंध में वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी/चौथी तिमाही के लिए ब्याज की आवश्यकता पूरी करने के लिए एसपीवी को 1300 करोड़ रुपए मुहैया कराना शामिल है। साथ ही, एसपीवी पर समस्त ऋण को सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से चुकाया जाएगा जिसके लिए 2600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

एअर इंडिया की पुनरुत्थान योजना में वित्तीय और प्रचालनिक कुशलताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि या लागत में कमी हासिल की जा सके। साथ ही, जैसा कि दिनांक 07.09.2018 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था, सरकार द्वारा प्रचालनिक और वित्तीय कुशलता मापदंड और लक्ष्य निर्धारित किए गए और सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से इन मापदंडों और लक्ष्यों की समीक्षा की जाती है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

क्र.सं.	विवरण / स्थान	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	स्थिति
1.	बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली स्थित एआई का भूखंड	14,326 *	
2.	गुड़गांव में आवासीय भूखंड	420	बिक्री हो चुकी है
3.	रेल हेड काम्प्लेक्स, रेखाबहू, रेजीडेंसी रोड, जम्मू में वाणिज्यिक भूमि	1518	
4.	सेक्टर 3, त्रिकुटा नगर, जम्मू में आवासीय भूमि	1138	
5.	हाउसिंग कॉलोनी के लिए भूमि (13 फ्लैट) विद्याधर हाउसिंग कॉलोनी, खसरा नंबर 16 सी और 17के एसएडीए, खजुराहो	8094	
6.	हाउसिंग कॉलोनी के लिए आवासीय भूमि 8, हैदरपुरा बाय पास पश्चिम जिला . बडगाम , श्रीनगर	9861	
7.	बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि, बस स्टैंड के पास, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, खजुराहो	2090	
8.	वाणिज्यिक भूमि बुकिंग कार्यालय के लिए, इंदिरा नगर, बेंगलुरु	804	बिक्री हो चुकी है
9.	उदयगिरी, बेंगलुरु में कार्यालय परिसर के लिए भूमि	25,617	केआईएडीबी को बेचा / लौटाया गया
10	गंगामुथनाहल्ली, बेंगलुरु में हाउसिंग कॉलोनी के लिए भूमि	5827	
11.	एनसीसी नगर, तिरुवनंतपुरम में हाउसिंग कॉलोनी के लिए भूमि	2479	
12.	कृष्णास्वामी नगर, पंकजा मिल्स रोड, सोवरिपलयम ग्राम, रामनाथपुरम ,कोयम्बटूर, तमिलनाडु में आवासीय भूखंड	4024	बिक्री हो चुकी है
13.	डेग नं.404 और 405 के अंतर्गत प्लॉट नंबर 1 और 4 में खाली	3519	

	जमीन, पट्टा नंबर 180, मौजा डिब्रूगढ़ टाउन, वार्ड गबरुपरथार, सब डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ के तहत . ( असम)		
14.	रिक्त वाणिज्यिक भूमि, बी नं. 6, डेग नं 414, पर्यटक लॉज कंपाउंड, कोहिमा रोड, नजदीक सुपर मार्किट, दीमापुर	1038	
15.	खाली आवासीय भूमि, डेग नं 487 ग्राम ब्रोझर, मौजा-काखिन रानी, पलासबारी सर्किल के तहत, गुवाहाटी (असम)	1405	
16.	खाहूखाली, कोलकाता में स्टाफ क्वार्टरों के लिए आवासीय प्लॉट	10,684	
17.	वाणिज्यिक भूमि प्लॉट नं. 951,953 और 954 पर, वार्ड नंबर 1, गली नंबर 46, रेवन्यू गांव - मुहरमपुर, पूर्वी गांधी मैदान, पटना	566	
18.	अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज के पास, सरदार नगर, साइट नंबर 1 विभाग-1, हंसोल में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि	16000	
19.	बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि और भवन, एयरलाइंस हाउस, स्टेशन रोड, नई एसबीआई, भुज	399	
20.	प्लॉट नंबर 21, घनश्याम नगर, भुज, कच्छ, गुजरात	2500	
21.	जामनगर में बुकिंग कार्यालय के लिए वाणिज्यिक भूमि	1000	
22.	06 आवासीय भूखंड, चारकोप, कांदीवली, मुंबई	5410	
23.	आवासीय भूखंड संख्या 24, सेक्टर 27, सिडको, नेरुल, नवी मुंबई	100021	
24.	आवासीय प्लॉट नंबर 2, सेक्टर 27, सिडको, नेरुल, नवी मुंबई	69,973	
25.	एन्जिल्स चैंबर, डेबर रोड, राजकोट में बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि	1076	
26.	आवासीय भूखंड संख्या 43, 44, 78 और 79, गाँव नाना मावा, राजकोट	1331	
27.	बुकिंग कार्यालय के लिए भूमि, टीपी स्कीम नंबर 9, प्लॉट नंबर 1, वडोदरा	2000	
28.	स्टाफ क्वार्टर के लिए भूमि. प्लॉट नंबर 8,9,10, सर्वे नंबर 3 (पार्ट)	706	



	टाउनसेंटर , बाजीपुरा , औरंगाबाद		
29.	अश्विन एल में न्यू नासिक में बंगला प्लॉट नं. एसएल -56 सर्वे नं. 925	385	
30.	लक्ष्मी हाउस, माउंट रोड, तेयनामपेट , चेन्नई में आवासीय सह वाणिज्यिक भूमि	5371	बिक्री हो चुकी है

\* नोट सम्पत्ति 18 अगस्त, 2017 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को ' जैसा हो जहां हैं ' सौंप दी गई , है .